न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुर्नविलोकन

Revy-1874-I-14

(31)

1. कैलाश पिता बाबूलाल खाती
2. अम्बाराम पिता बाबूलाल खाती
3. सुखमाबाई पति बाबूलाल
4. सरजूबाई पिता बाबूलाल खाती

निवासीगण–ग्राम निहलापुर मुंडी तह. व जिला इन्दौर

---आवेदकगण

---विरूद्ध--

लखन पिता कोशाराम पटेल

निवासी–ग्राम निहलापुर मुंडी तह. व जिला इन्दौर

----अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से रिव्यु आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1753–एक/2014 मे पारित आदेश दिनांक 10/6/2014 से असंतुष्ट होकर पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुतं करता है।

2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का कोई पालन नही हुआ है तथा आवेदकगण को सुने बगैर ही प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिप्रादित किये है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो को पालन किये बगैर पारित आदेश निरस्ती योग्य होता है।

2. यह कि, माननीय न्यायालय ने अनावेदक ने गलत तर्क प्रस्तुत किये जो कि रेकार्ड के विपरीत है। बिना रिकार्ड के अवलोकन के प्रकरण की सही स्थिति का ज्ञान नही हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण को मंगाये बगैर तथा संलग्न प्रतिवेदनो को देखे बगैर आदेश पारित कर दिया गया है। जिस पर पुर्नविचार करना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. यह कि, माननीय न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अनावेदक को सुना नही गया है। किंतु माननीय न्यायालय द्वारा भी यही गलती की गयी है कि प्रकरण मे आवेदकगण को सुने बगैर आदेश पारित किया गया है। इस कारण प्रकरण को पुर्नविलोकन मे लेकर आवेदकगण को सुनने के पश्चात प्रकरण का अंतिम निरारकरण किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

(30)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 1874–एक/14 जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/9/17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1753–एक/14 में पारित आदेश दिनांक 10–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरावलोकन आवेदन में उठाये गये तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	